

12/02/2021

पत्रावली पेश हुई। व कुलाग्र उपस्थित  
व कुलाग्र की बहस सुनी गई। पत्रावली  
का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं  
अध्ययन किया गया। व कुलाग्र  
की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन एवं अध्ययन  
तथा व कुलाग्र की बहस के मनन के  
परिचाय पूर्व में जारी स्थगान आदेश  
को कन्फर्म किया जाना उचित  
प्रतीत होता है।

अतः नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत  
रखते हुए पूर्व आदेश दिनांक 23.05.2016  
को जारी अन्तरिम आस्थापी निषेधाज्ञा  
को तादावा फेसला कन्फर्म किया  
जाला है।

पत्रावली फेसल सुमार होकर  
दखिल दफ्तर होकर दावा के  
साथ शामिल हो।

निर्णय आज 12-02-2021 को खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।